

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 17, 1983/पौष 27, 1904
No. 13] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 17, 1983/PAUSA 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

वार्षिक सूचना सं० 4-आईटीसी (पीएम)/83

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1983

विषय:- ऋण समझौते और वाणिज्य, गैरों के मामले में लागू करने के लिए भारतीय पण
और खबल के बीच विनियम की दर

संसिद्ध सं० आईपीसी/(सामान-150)/75-82/बा० 2.—भारत सरकार और संबंधित
समाजवादों गणतंत्र मध्य (यू० एन० एम० चार०) की सरकार के बीच 25 नवम्बर, 1978 को
नियमित प्रादोकास के अनुसार और निश्चित मुद्रा समूह के अनुसार भारतीय रुपए के मूल्य में
परिवर्तन के परिणामस्वरूप उक्त सभी ऋण समझौते और वाणिज्यिक सौदा के लिए 31 दिसम्बर
1982 से प्रति रुबल 10.0176 रुबल की विनियम दर लागू होगी जो दोनों देशों के बीच वर्तमान

में किया जा चुके हैं और सविष्य में किए जाएंगे और जो खर्च से विनिर्दिष्ट किए गए हैं या किए जाएंगे। यह विनियम वर भारतीय रुपए में विनिर्दिष्ट उन सविदाओं के लिए भी लागू होंगे, जिनमें सविदा के कार्यान्वयन की अवधि एक वर्ष या अधिक होने के कारण सविदा की कीमत खर्च और रुपए के बीच विनियम की दर से विशेष रूप से सज्ज है।

2. भारत और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के बीच हुए त्रिपक्षीय ऋण और वणिज्यिक सौदों के लिए नई विनियम की दर लागू करने का यह नरीका गृह्यता जा भावजनिक सूचना सं० 3-आईटीसी (पीएन)/79, दिनांक 5 जनवरी 1979 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE
IMPORT TRADE CONTROL
PUBLIC NOTICE NO. 4-ITC(PN)/83
New Delhi, the 17th January, 1983

Sub. :—Rate of exchange between the Indian rupee and the Rouble for application in the case of Credit Agreements and commercial transactions.

File No. IPC/(Gent.-150)/75-82/Vol. II.—In accordance with the Protocol concluded between the Government of India and the Government of the Union of the Soviet Socialist Republics (USSR) on November 25, 1978 and consequent on changes in the value of the Indian Rupee in terms of a specified basket of currencies, an exchange rate of Rs. 10.0176 per Rouble shall, with effect from December 31, 1982, apply to the settlement of all existing and future credit agreement and commercial transactions between the two countries which have been or may be designated in Roubles. This rate of exchange shall also apply to contracts designated in Indian Rupees where the contract price is specifically linked to the rate of exchange between the rouble and the rupee because of the period of implementation of the contract being one year or more.

2 The manner of application of the new rates of exchange to various credit and commercial transactions between Indian and the USSR will remain the same as indicated in Public Notice No. 3-ITC(PN)/79 dated January 5, 1979.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of
Imports and Exports